उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-1

संख्या-27/3153/26-1-2013-4(12)/2011

लखनऊ: दिनांक: 18 नवम्बर, 2013

कार्यालय-ज्ञाप

श्रीमती स्वप्ना कुमारी, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, गोरखपुर को शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने, विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में शासकीय धनराशि के गबन/कूटरचना, फर्जी रिपोर्ट तैयार करने आदि अनियमितताओं के लिए शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-940/26-1-2010-सक-1, दिनांक 20-05-2010 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी। उक्त अनुशासनिक कार्यवाही में नियुक्त जॉच अधिकारी (श्री आर0के0 सिंह, उपनिदेशक, समाज कल्याण, निदेशालय, लखनऊ) द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या में श्रीमती स्वप्ना कुमारी पर लगाये गये 11 आरोपों में से आरोप संख्या-06 आंशिक रूप से तथा 3, 4, 5, 7, 8 व 11 पूर्ण रूप से प्रमाणित पाये गये। उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अन्तर्गत जॉच अधिकारी की जॉच आख्या भेजते हुए अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन प्राप्त किया गया। तदोपरान्त जॉच अधिकारी की जॉच आख्या तथा अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदन एवं संगत अभिलेखीय साक्ष्यों के सम्यक् परिशीलन के उपरान्त यह पाया गया कि श्रीमती स्वप्ना कुमारी द्वारा अपने पदीय दायित्वों का सम्यक् निर्वहन न करते हुए जनकल्याणकारी योजनाओं में शासकीय धनराशि का अनियमित भुगतान किया गया है। इस संबंध में लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद की सहमति के उपरान्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2735/26-1-2013-4(12)/2011, दिनांक 19-09-2013 द्वारा निम्नलिखित दण्ड देते हुए उक्त अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त की गयी:-

"श्रीमती स्वप्ना कुमारी को जिला समाज कल्याण अधिकारी पद से उनके मौलिक पद अधीक्षक (राजपत्रित) पर प्रत्यावर्तित किया जाता है।"

2- उक्त दण्ड के विरूद्ध श्रीमती स्वप्ना कुमारी द्वारा दिनांक 08-10-2013 को पुनर्विचार प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा मुख्यत: निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया गया:-

(1)- जॉच अधिकारी श्री आर0के0 सिंह, उपनिदेशक, समाज कल्याण द्वारा आरोपों की जॉच हेतु कोई स्थान, तिथि व समय निर्धारित नहीं किया गया।

(2)- जॉच अधिकारी से बार-बार अनुरोध करने पर भी आवश्यक साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये। उनके द्वारा पत्र दिनांक 15-06-2010 द्वारा आरोपों के संबंध में अपनी उपस्थिति में साक्ष्यों के साथ उपस्थित होकर साक्षियों के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया, जिसके कारण वह अपना पक्ष नहीं प्रस्तुत कर सकी। इस प्रकार जॉच प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, जो मौलिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है।

(3)- जॉच अधिकारी द्वारा साक्ष्यों के अभाव में शासनादेश के विपरीत उन पर लगाये गये आरोपों को अपनी जॉच आख्या में पूर्णरूप से सिद्ध बताया गया। इस प्रकार जॉच अधिकारी की जॉच आख्या में शासन को वस्तुस्थिति से अवगत नहीं कराया गया, जो दण्डादेश का कारण बना।

(4)- श्री विशेश्वर सिंह, तत्कालीन उपनिदेशक, गोरखपुर मण्डल एवं श्री हीरालाल, तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर की प्राथमिक जॉच दिनांक 17-02-2009 जो उनके अनुपस्थिति में बिना सूचना के की

http://shasanadesh.up.nic.in

गयी, जॉच आख्या दिनांक 20-02-2009 असत्य एवं भ्रामक है, जिसकी पुष्टि जॉच अधिकारी की जॉच रिपोर्ट से होती है। जॉच अधिकारी द्वारा आरोप पत्र में लगाये गये 11 आरोपों में 04 आरोप-1, 2, 9 व 10 प्रमाणित नहीं पाया गया तथा आरोप संख्या-6 आंशिक रूप से ही प्रमाणित पाया गया।

(5)- तत्कालीन आयुक्त गोरखपुर मण्डल के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27-10-2008 द्वारा तत्कालीन उपनिदेशक, समाज कल्याण, गोरखपुर की आख्या भ्रामक तथ्यों के आधार पर दुर्भावनावश दिलायी गयी प्रतिकूल प्रविष्टि को विलुप्त करते हुए यह उल्लेख किया गया कि श्रीमती स्वप्ना कुमारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी गंभीरता पूर्वक अपना कार्य कर रही हैं।

(6)- प्रारम्भिक जॉच अधिकारी पूर्व से ही निहित स्वार्थवश उनके प्रति दुर्भावना रखते थे, जिसके कारण उन्हें प्रताडित करने का तरह-तरह से प्रयास किया गया, जिसमें सफल न होने पर उच्चाधिकारियों को भ्रमित करने, असत्य एवं अपुष्ट तथ्यों के आधार पर जॉच करायी गयी।

(7)- प्रारम्भिक जॉच अधिकारी पूर्व से ही निहित स्वार्थवश उनके प्रति दुर्भावना रखते थे, जिसके कारण उन्हें प्रताडित करने का तरह-तरह से प्रयास किया गया, जिसमें सफल न होने पर उच्चाधिकारियों को भ्रमित करने, असत्य एवं अपुष्ट तथ्यों के आधार पर जॉच करायी गयी।

(8)- यदि प्रारम्भिक जॉच अधिकारियों के संबंध में उन्हें पूर्व से सूचना प्राप्त होती तो दुर्भावना से ग्रसित जॉच अधिकारियों के स्थान पर किसी निष्पक्ष जॉच अधिकारी से जॉच कराये जाने हेतु निवेदन किया जाता, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया।

(9)- उनके द्वारा शासन को अवगत कराते हुए अनुरोध करने के बावजूद उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्यों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया, जो विधिसम्मत नहीं है। शासन द्वारा जॉच अधिकारी द्वारा कथित रूप से सिद्ध पाये गये आरोपों के संबंध में उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदन दिनांक 23-02-2012 पर दण्डादेश निर्गत किये जाने के पूर्व शासन के मंतव्य से अवगत नहीं कराया गया, जो कि विधिक प्रक्रिया के अनुकूल नहीं है।

(10)- कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19-09-2013 के संबंध में यह स्पष्ट करना हे कि बीपीएल सूची में केवल परिवार के मुखिया का नाम होता है, जबकि पेंशन बीपीएल परिवार के किसी सदस्य को दी जा सकती है। जॉच आख्या में मात्र संदेह के आधार पर उन्हें दोषी ठहराया गया है। आरोप पत्र एवं जॉच अधिकारी की जॉच आख्या एवं कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19-09-2013 में किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि उक्त 34 पेंशनर बीपीएल परिवार के सदस्य नहीं हैं।

(11)- शासनादेश दिनांक 04-08-1999 के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की पात्रता की जॉच एवं स्वीकृति का दायित्व संबंधित ग्राम पंचायत का है। ग्राम पंचायत की खुली बैठक में पात्रता की जॉच के पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृति किया जाता है। ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत पेंशनरों की सूची संबंधित खण्डविकास अधिकारी द्वारा प्रमाणित करके अग्रेतर कार्यवाही हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित की जाती है। उनके द्वारा ग्रामसभा द्वारा लाभार्थियों की पात्रता की जॉच के पश्चात स्वीकृति एवं प्रस्तावित सूची खण्ड विकास अधिकारी, सहजनवॉ के पत्र दिनांक 16-01-2009 द्वारा प्राप्त हुई, जिसमें बीपीएल के आधार पर वृद्धावस्था पेंशन की प्रस्तावित सूची को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया तथा संलग्न आवेदन पत्र बीपीएल क्रमांक के अंकन सहित संबंधित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित थे, के संबंध में संबंधित पटल सहायक एवं लेखालिपिक द्वारा शासनादेश के अनुसार भुगतान की कार्यवाही की गयी। बीपीएल का मानक दिनांक 01-04-2008 से लागू हुआ, न कि दिनांक 19-11-2007 से। बीपीएल सूची से मिलान करने के संबंध में जॉच संबंधी प्रकरणों की तिथि तक विभाग द्वारा किसी भी प्रकार के दिशा-निर्देश नहीं दिये गये थे। इस प्रकार उनके द्वारा किसी प्रकार की पेंशन स्वीकृत नहीं की

http://shasanadesh.up.nic.in

गयी। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रमाणित/अग्रसारित सूची को कार्यालय पटल सहायक एवं लेखालिपिक द्वारा प्रस्तुत करने पर आवेदकों हेतु शासनादेशानुसार मात्र पेंशन की धनराशि को लाभार्थी खातें में प्रेषण की कार्यवाही की गयी।

(12)- राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन विभाग में पूर्व से ही वर्ष 1995 से संचालित है, जिसमें निर्धारित व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा जॉचोपरान्त स्वीकृत एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अग्रसारित एवं प्रमाणित सूची को कार्यालय पटल सहायक एवं लेखालिपिक द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर उनके स्तर से मात्र भुगतान की कार्यवाही की गयी।

(13)- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत शासनादेश दिनांक 26-12-2003 के अनुसार आवेदकों की पात्रता की जॉच का दायित्व संबंधित तहसील एवं उपजिलाधिकारी का है। शासनादेश दिनांक 12-07-2010 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि तहसील से जॉचोपरान्त राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के आवेदन पत्रों को जिला समाज कल्याण अधिकारी अपने स्तर से पुन: जॉच नहीं करायेगें। अत: संबंधित तहसील से जॉच के उपरान्त संबंधित उपजिलाधिकारी द्वारा प्रमाणित एवं संस्तुत आवेदकों की सूची को संबंधित पटल सहायक द्वारा प्रस्तुत करने पर शासनादेश के अनुसार अनुमोदन/स्वीकृत हेतु जिलाधिकारी, गोरखपुर की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बाद में कतिपय मौखिक शिकायतें प्राप्त होने पर उनके द्वारा तत्काल भुगतान की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए पुन: जॉच करायी गयी तथा जॉचोपरान्त सही पाये गये आवेदन पत्रों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पुन: समिति के समक्ष अनुमोदन/स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया।

(14)- जॉच अधिकारी द्वारा जॉच आख्या में किसी अपात्र लाभार्थी को भुगतान न किये जाने तथा शासकीय धनराशि का व्यपहरण किया जाना नहीं पाया गया।

3- श्रीमती स्वप्ना कुमारी के पुनर्विचार प्रत्यावेदन में उल्लिखित उक्त तथ्यों के संबंध में अभिलेखीय साक्ष्यों एवं संगत शासनादेशों/नियमों के आलोक में सम्यक् परिशीलन के उपरान्त विभागीय स्थिति निम्नवत् है:-

(1)- जॉच अधिकारी द्वारा श्रीमती स्वप्ना कुमारी के आरोप पत्र का दिये गये उत्तर एवं संगत साक्ष्यों के आधार पर जॉच आख्या प्रस्तुत की गयी।

(2)- अपचारी अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 20-05-2010 एवं 01-06-2010 द्वारा सचिव, समाज कल्याण से संगत साक्ष्य उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। श्रीमती स्वप्ना कुमारी के विरूद्ध श्री आर0के0 सिंह, उपनिदेशक समाज कल्याण, मुख्यालय को जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया था न कि सचिव, समाज कल्याण को। अत: अपचारी अधिकारी द्वारा नियमत: जॉच अधिकारी से अभिलेखों/साक्ष्यों की मॉग नहीं की गयी। उक्त के अतिरिक्त अपचारी अधिकारी द्वारा आरोप पत्र के दिये गये उत्तर में इस तथ्य का उल्लेख भी नहीं किया गया कि उनके द्वारा पूर्व में किन्हीं अभिलेखों की मॉग की गयी थी, जो उन्हें प्राप्त नहीं कराये गये। इस प्रकार इस तथ्य की पुष्टि होती है कि श्रीमती स्वप्ना कुमारी द्वारा आरोप पत्र का उत्तर प्रस्तुत करने हेतु जॉच अधिकारी से किन्हीं अभिलेखों/साक्ष्यों की मॉग नहीं की गयी।

(3)- श्रीमती स्वप्ना कुमारी द्वारा अपने अभिकथन में यह कहा गया है कि जॉच अधिकारी द्वारा साक्ष्यों के अभाव में उन पर आरोप सिद्ध किये गये है, किन्तु उनके द्वारा अपने प्रत्यावेदन में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि जॉच अधिकारी द्वारा किन साक्ष्यों/शासनादेशों का सम्यक् परीक्षण नहीं किया गया, जिनके आधार पर आरोप प्रमाणित किये गये।

(4)- प्रारम्भिक जॉच अधिकारी श्री विशेश्वर सिंह की जॉच रिपोर्ट से परिलक्षित होता है कि कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, गोरखपुर में तैनात कतिपय कार्मिकों के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई, जिसकी

http://shasanadesh.up.nic.in

जॉच हेतु निदेशालय स्तर से श्री विशेश्वर सिंह को जॉच के लिए निर्देशित किया गया। संबंधित कार्मिकों के विरूद्ध की गयी शिकायतों की जॉच हेतु उपनिदेशक, समाज कल्याण, गोरखपुर के पत्र दिनांक 20-12-2008 एवं 16-05-2009 द्वारा श्री स्वप्ना कुमारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी तथा श्रीमती सुमनलता, वरिष्ठ सहायक को पत्र प्रेषित किये गये, परन्तु उनके द्वारा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। तदोपरान्त प्रारम्भिक जॉच अधिकारी के स्तर से अन्य स्रोतों से उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर आख्या तैयार कर प्रेषित की गयी, जिसमें श्रीमती स्वप्ना कुमारी जिला समाज कल्याण अधिकारी, गोरखपुर एवं श्रीमती सुमनलता, वरिष्ठ सहायक को शासकीय धनराशि के दुरूपयोग के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया। इस प्रकार श्रीमती स्वप्ना कुमारी प्रारंभिक जॉच अधिकारी द्वारा वॉछित अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने के लिए उत्तरदायी है। प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही में जॉच अधिकारी द्वारा अपचारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उत्तर एवं संगत अभिलेखों के आधार पर जॉच आख्या प्रस्तुत की गयी, जिसमें उन पर प्रमाणित/अप्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में आरोपवार आख्या प्रस्तुत की गयी।

(5)- प्रश्नगत प्रकरण में श्री विशेश्वर सिंह, उपनिदेशक, समाज कल्याण, गोरखपुर मण्डल द्वारा दिनांक 11-07-2009 को प्रारम्भिक जॉच की गयी, जिसके आधार पर अपचारी अधिकारी को आरोप पत्र देते हुए अनुशासनिक कार्यवाही की गयी, जबकि अपचारी अधिकारी द्वारा उक्त प्रारंभिक जॉच के पूर्व उपनिदेशक, समाज कल्याण, गोरखपुर मण्डल द्वारा दी गयी प्रतिकूल प्रविष्टि को आयुक्त गोरखपुर मण्डल द्वारा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27-10-2008 द्वारा समाप्त की गयी, जिसका प्रश्नगत प्रकरण से कोई संबंध नहीं है।

(6)- श्रीमती स्वप्ना कुमारी द्वारा पूर्व में प्रारंभिक जॉच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जॉच आख्या के परिप्रेक्ष्य में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। श्रीमती स्वप्ना कुमारी को प्रारम्भिक जॉच अधिकारी की जॉच आख्या संज्ञानित थी। अतः उन्हें उसी समय सुसंगत अभिलेखों के आधार पर निदेशक, समाज कल्याण/शासन के समक्ष अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया। विभागीय कार्यवाही में उनके विरूद्ध जॉच अधिकारी की जॉच आख्या के आधार पर आरोप प्रमाणित पाये गये, न कि प्रारम्भिक जॉच आख्या के आधार पर। दण्ड निर्गत होने के उपरान्त अपने उच्चाधिकारियों को आक्षेपित किया गया है, जो न्यायसंगत नहीं है।

(7)- प्रारम्भिक जॉच अधिकारी द्वारा श्रीमती स्वप्ना कुमारी से पत्र दिनांक 20-12-2008 व 16-05-2009 द्वारा संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया, जो उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे यह परिलक्षित है कि उन्हें प्रारम्भिक जॉच का संज्ञान था, किन्तु उनके द्वारा प्रारम्भिक जॉच अधिकारी को कोई सहयोग प्रदान नहीं किया गया।

(8)- श्रीमती स्वप्ना कुमारी का यह कथन मान्य नहीं है, क्योंकि उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में नियुक्ति प्राधिकारी/दण्डन प्राधिकारी के स्तर पर व्यक्तिगत सुनवाई/व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करने की व्यवस्था नहीं है। उक्त नियमावली के नियम-9(4) में यह व्यवस्था है कि अनुशासनिक प्राधिकारी की राय में नियम-3 में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति अधिरोपित होनी चाहिए, तो जॉच रिपोर्ट और उसके अभिलिखित निष्कर्षो की एक प्रति अधिरोपित सरकारी सेवक को देकर उसका अभ्यावेदन(यदि वह ऐसा चाहता हो) प्राप्त कर युक्तियुक्त विनिर्दिष्ट समय के भीतर निर्णय लिया जायेगा। अतः दण्डादेश निर्गत किये जाने से पूर्व अपचारी अधिकारी को अवगत कराये जाने की व्यवस्था निर्धारित नहीं है। श्रीमती स्वप्ना कुमारी पर जॉच अधिकारी द्वारा प्रमाणित पाये गये आरोपों के संबंध में जॉच अधिकारी की जॉच आख्या भेजते हुए पत्र दिनांक 30-11-2011 द्वारा तथ्यात्मक स्पष्टीकरण/अभ्यावेदन उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिसका उनके द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। पुनः पत्र दिनांक 02-01-2012 द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अन्तिम अवसर प्रदान किया गया। तत्क्रम में

http://shasanadesh.up.nic.in

उनके द्वारा दिनांक 23-02-2012 द्वारा अभिकथन उपलब्ध कराया गया। तदोपरान्त जॉच अधिकारी की जॉच आख्या तथा श्रीमती स्वप्ना कुमारी के अभ्यावेदन पर सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद की सहमति प्राप्त कर कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19-09-2013 द्वारा वृहद दण्ड से दण्डित किया गया।

(9)- वृद्धावस्था पेंशन हेतु शासनादेश दिनांक 27-08-2008 द्वारा बीपीएल का मानक निर्धारित किया गया है तथा यह व्यवस्था 01-04-2008 से प्रभावी की गयी। श्रीमती स्वप्ना कुमारी द्वारा साक्ष्य के रूप में खण्ड विकास अधिकारी सहजनवॉ, गोरखपुर द्वारा प्रेषित सूची दिनांक 16-01-2009 द्वारा ग्राम पंचायत भरसाड की सूची प्रेषित की गयी, जिसके द्वारा 103 लाभार्थियों के नाम वृद्धावस्था पेंशन में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया। श्रीमती स्वप्ना कुमारी द्वारा उक्त सूची में 24 लाभार्थी जिन्हें अनियमित रूप से जिन्हें शासकीय धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु आरोपित किया गया, के संबंध में कोई अभिलेखीय साक्ष्य/प्रमाण संलग्न नहीं किये गये। वृद्धावस्था पेंशन की स्वीकृति हेतु संगत शासनादेशों में आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक निर्धारित की गयी है, जिसमें आवेदक को बीपीएल से नीचे की श्रेणी में होना अनिवार्य है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वृद्धावस्था पेंशन केवल उन्हीं को स्वीकृत की जा सकती है, जिनके बीपीएल सूची में नाम हो। बीपीएल परिवार के सदस्यों को वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने की व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार श्रीमती स्वप्ना कुमारी द्वारा ऐसे लाभार्थियों जिनके बीपीएल सूची में नाम नहीं थे, को अनियमित रूप से शासकीय धनराशि का भुगतान किया गया।

(10)- श्रीमती स्वप्ना कुमारी का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है कि उनके द्वारा मात्र पेंशन की धनराशि को लाभार्थी के खातें में प्रेषण की कार्यवाही करायी गयी। श्रीमती स्वप्ना कुमारी जनपद गोरखपुर में दिनांक 20-02-2008 से 11-04-2010 तक तैनात रहीं। तत्समय वृद्धावस्था पेंशन के संबंध में शासनादेश दिनांक 05-09-2007, 08-11-2007, 05-05-2008, 27-05-2008, 11-07-2008, 26-02-2009, 15-04-2009, 23-07-2009, 31-08-2009, 11-09-2009, 04-12-2009 व 16-02-2010 प्रभावी थे। उक्त शासनादेशों में से शासनादेश दिनांक 31-08-2009 तथा 04-12-2009 सत्यापन की व्यवस्था निर्धारित थी, जिसके अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा जॉच सुनिश्चित किये जाने, वर्ष 2008-09 व उसके बाद चयनित होने वाले लाभार्थी के नाम बीपीएल सूची से मिलान किये जाने तथा बीपीएल सूची संख्या अंकित किये जाने एवं बैंक खातों का मिलान किये जाने की व्यवस्था निर्धारित थी। उक्त शासनादेश में यह भी निर्देश हैं कि किसी त्रुटि के लिए खण्ड विकास अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी उत्तरदायी होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि श्रीमती स्वप्ना कुमारी द्वारा वृद्धावस्था पेंशन हेतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अग्रसारित कर प्रेषित सूची का सत्यापन नहीं कराया गया। अत: अपात्र लाभार्थियों को अनियमित भुगतान किये जाने की दोषी हैं।

(11)- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के संबंध में शासनादेश दिनांक 22-11-2001, 03-02-2003, 26-12-2003, 02-06-2004, 17-06-2004, 20-08-2004, 30-05-2006, 20-06-2006, 22-06-2007, 19-07-2007, 26-02-2008, 01-12-2008 व 29-08-2008 तत्समय निर्गत किये गये थे। शासनादेश दिनांक 19-07-2007 में यह व्यवस्था है कि आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जिस स्तर से प्राप्त हों, उनकी प्राप्ति रसीद दिये जाने, आवेदन पत्र की कमियों का निराकरण कराने एवं भुगतान कराने का पूर्ण दायित्व जिला समाज कल्याण अधिकारी का निर्धारित किया गया है। श्रीमती स्वप्ना कुमारी का जनपद गोरखपुर में कार्यकाल दिनांक 11-04-2010 तक रहा है। तत्समय शासनादेश दिनांक 12-07-2010 निर्गत नहीं था। इस प्रकार श्रीमती स्वप्ना कुमारी द्वारा तत्समय शासनादेशों में निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित न करने के लिए पूर्णतया उत्तरदायी हैं।

http://shasanadesh.up.nic.in

(12)- श्रीमती स्वप्ना कुमारी का यह कथन मान्य नहीं है कि जॉच अधिकारी द्वारा किसी अपात्र लाभार्थी को भुगतान न किये जाने तथा शासकीय धनराशि का व्यपहरण किया जाना नहीं पाया गया। जॉच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जॉच आख्या में उन्हें वृद्धावस्था/पारिवारिक पेंशन में अपात्र लाभार्थियों को पेंशन का अनियमित भुगतान संबंधी कतिपय आरोप प्रमाणित पाये गये हैं।

4- अतएव उपरोक्त वर्णित तथ्यों के सम्यक् विचारोपरान्त श्रीमती स्वप्ना कुमारी के विरूद्ध पारित दण्डादेश दिनांक 19-09-2013 को समाप्त किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया। तद्नुसार श्री राज्यपाल महोदय श्रीमती स्वप्ना कुमारी, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, गोरखपुर सम्प्रति प्रत्यावर्तित अधीक्षक (राजपत्रित) के पुनरीक्षण प्रत्यावेदन दिनांक 08-10-2013 को उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-14 के अंतर्गत बलहीन होने के कारण अस्वीकृत करते हुए निरस्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

के0राम मोहन राव
सचिव।

<u>पृ0सं0-27/3153(1)/26-1-2013-तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

3- श्रीमती स्वप्ना कुमारी, अधीक्षक(राजपत्रित), राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय (द्वारा निदेशक, समाज कल्याण)।

4- गार्ड फाइल/इण्टरनेट।

आज्ञा से,

(राज कुमार त्रिवेदी)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in